न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 320/2011

1 भागीरथ सिंह पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हेमाराम (मृतक)।
1/1 शिशपाल पुत्र हेमाराम।
1/1/1 मीरा देवी पत्नी शिशपाल।
1/1/2 देवीलाल पुत्र शिशपाल समस्त जाति जाट निवासी कांकडवाली ढ़ाणी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
1/1/3 सुप्यार पुत्री शिशपाल पत्नी सांवरमल।
1/1/4 सन्तोष पुत्री शिशपाल पत्नी सुरेन्द्र।
1/1/5 पिन्टू उर्फ चिंटू पुत्री शिशपाल पत्नी हरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण बासड़ी कलां पोस्ट दूधवा जिला सीकर।
1/2 बनवारी पुत्र हेमाराम।
1/3 मीरा पुत्री हेमाराम।
1/4 चूंकि पुत्री हेमाराम।
2 महादेव (मृतक)।
2/1 लक्ष्मण पुत्र महादेव।
2/2 सांवरमल पुत्र महादेव।
2/3 ग्यारसी पत्नी महादेव समस्त जाति जाट निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2/4 झूमा देवी पुत्री महादेव पत्नी गीगाराम।
2/5 गुलाबी पुत्री महादेव पत्नी शंकरलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

2/6 बुगली पुत्री महादेव पत्नी श्रवण समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डूडवाडिया तन बनाथला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 मु0 छोटी पत्नी मंगलाराम।
4 अर्जुनलाल पुत्र मंगलाराम।
5 मोहनलाल पुत्र मंगलाराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता छोटी देवी वादार्थ संरक्षक विजय कुमार, अधिवक्ता।
6 मूर्ति मन्दिर बालमुकुन्दजी जरिये संरक्षक तहसीलदार दांतारामगढ़ वादार्थ संरक्षक श्री विधाधर सूण्डा अधिवक्ता।
7 राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.06.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक मजिस्ट्रेट दांतारामगढ़ पीठासीन अधिकारी जयसिंह मुकदमा उनवानी भागीरथ सिंह बनाम हेमाराम आदि मुकदमा नम्बर 14/2006

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 18.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2006 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के यहां दावा इस्तकरार हक हुक्म इम्तनाई दवामी, दुरूस्ती इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया। वादपत्र में हुक्माराम का सजरा दिया गया और कथन किया गया कि वादी/अपीलांट तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को हुक्माराम का वंशज बताया गया। वादपत्र में कथन किया कि ग्राम पोस्ट खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1828 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1823 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1824 रकबा 8.31 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर अवस्थित है उपरोक्त वर्णित भूमियों के साबिक खसरा नम्बर 1009 रकबा 5 बीघा तथा खसरा नम्बर 1010 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों में वादी का 1/4 भाग, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 भाग है। सभी भूमियां चाही है तथा भूमियों की सिंचाई चाह खसरा नम्बर 1008 से होती है। वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तथा प्रतिवादी संख्या 6 अपने अपने हिस्से अनुसार राज्य सरकार में लगान जमा करवाते आ रहे है। वादपत्र में कथन किया कि वादी के पिता स्व. कालूराम पुत्र उदाराम का नाम खसरा गिरदावरियों में संवत 2015 से लगातार अंकित होता चला आ रहा है। वादी के पिता स्व. कालु का नाम खसरा गिरदावरी संवत 2018 के कॉलम संख्या 6 में 1/4 भाग जमाबंदी संवत 2019 से 22 में उप कृषक के नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में वादी स्वतः ही खातेदार हो जाता है। कथन किया कि विवादित भूमियों वर्णित मद संख्या वादपत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज निम्न प्रकार है" मूर्ति मन्दिर बाल मुकन्द हिस्सा 1/2 हेमाराम, महादेव पिता मांगूराम हिस्सा 1/3 छोटी बेवा मंगलाराम तथा अर्जुनलाल, मोहन पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/6 कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 6 मूर्ति मन्दिर बाल मुकन्द का 1/2 मात्र सही है तथा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का इन्द्राज गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी को 1/4 भाग तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का 1/4 नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। कथन किया कि करीब 20 दिन पहले वादी अपनी काश्त शुद्वा भूमि की सार संभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण संख्या 1,2 तथा 5 मौके पर आए तथा वादी के अधिकारों को चुनौती देने लगे तथा बलात वादी के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो गए। वाद वादी डिक्री करने का कथन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने पी.डी. 1 भागीरथ सिंह पुत्र कालूराम वादी सरदार सिंह पुत्र गोविन्दराम पी. डी. 2, गोपालसिंह पुत्र रतनलाल पी.डी. 3 के बयान लिए और योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय बहस प्रस्तुत हुई। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2006 द्वारा वाद वादी खारिज किया इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है। अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 21.07.2007 द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया है। इसके विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की और से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई है। जो निर्णय दिनांक 12.08.2011 को स्वीकार होकर इस न्यायालय को पुन निर्णय हेतु प्रति प्रेषित की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट स्व. कालु का पुत्र है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 में विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का उप कृषक बालु पुत्र उदा दर्ज है। अपीलांट अपने पिता के 1/4 हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। संवत 2013 से खसरा गिरदावरी में में अपीलांट के पिता कालु की काश्त दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में दावा संख्या 244/1992 हेमाराम आदि बनाम रामकुमार आदि चला था जिसमें दिनांक 27.09.1993 को पक्षकारों में राजीनामा प्रस्तुत हुआ था। इस राजीनामें में अपीलांट के पिता कालुराम प्रतिवादी संख्या 2 थे। इस राजीनामे में वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 से 5 हेमा, महादेव, मु–छोटी, अर्जुन, मोहन ने हस्ताक्षर अंगुठा निशानी विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर के समक्ष अंकित कर यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1006,1010, 1009 में उत्तर की तरफ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामकुमार व कालुराम पुत्रगण उदाराम के कब्जे काश्त में है वादीगण उत्तर की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगें। उत्तर की तरफ की 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामकुमार व कालुराम को खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावें। यह राजीनामा पक्षकारों द्वारा दिनांक 27.09. 1993 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा पक्षकारों की पहचान किये जाने पर सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर द्वारा दिनांक 27.09.1993 को तस्दीक किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 राजीनामे की स्वीकारोक्ती से पाबन्द है। इस राजीनामे से अपीलांट का विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का दावा बखूबी साबित है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया था इससे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही हुई है। दौराने अपील रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ नकल विक्रय पत्र कालुराम बहक प्रभातराम दिनांक 22.10.1992, नकल विक्रय पत्र रामकुमार बहक भगवाना दिनांक 22.10.1992 नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध संवत 2009 से 2029, नकल नामान्तकरण दिनांक 18.11.1993, नकल वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी, नकल जमाबन्दी संवत 2027 से 2030, 2063 से 2066, दावा संख्या 244/1992 के दावा, राजीनामा, आदेशिका की नकल प्रस्तुत की है। विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1992 कुल किता 2 खसरा नम्बर 1023 बाबत है विचारण न्यायालय एवं प्रस्तुत अपील में वादी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1023 बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो जमाबन्दीया प्रस्तुत की गई है वे भी खसरा नम्बर 1023 से सम्बंधित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजात

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 से 5 हेमा, महादेव, मु–छोटी, अर्जुन, मोहन ने हस्ताक्षर अंगुठा निशानी विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर के समक्ष अंकित कर यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1006,1010, 1009 में उत्तर की तरफ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामकुमार व कालुराम पुत्रगण उदाराम के कब्जे काश्त में है वादीगण उत्तर की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगें। उत्तर की तरफ की 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामकुमार व कालुराम को खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावें। यह राजीनामा पक्षकारों द्वारा दिनांक 27.09. 1993 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा पक्षकारों की पहचान किये जाने पर सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर द्वारा दिनांक 27.09.1993 को तस्दीक किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 राजीनामे की स्वीकारोक्ती से पाबन्द है। इस राजीनामे से अपीलांट का विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का दावा बखूबी साबित है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया था इससे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही हुई है। दौराने अपील रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ नकल विक्रय पत्र कालुराम बहक प्रभातराम दिनांक 22.10.1992, नकल विक्रय पत्र रामकुमार बहक भगवाना दिनांक 22.10.1992 नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध संवत 2009 से 2029, नकल नामान्तकरण दिनांक 18.11.1993, नकल वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी, नकल जमाबन्दी संवत 2027 से 2030, 2063 से 2066, दावा संख्या 244/1992 के दावा, राजीनामा, आदेशिका की नकल प्रस्तुत की है। विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1992 कुल किता 2 खसरा नम्बर 1023 बाबत है विचारण न्यायालय एवं प्रस्तुत अपील में वादी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1023 बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो जमाबन्दीया प्रस्तुत की गई है वे भी खसरा नम्बर 1023 से सम्बंधित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजात

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवादित भूमि से सम्बंधित नही होने से प्रासांगिक नही है। इन दस्तावेजात से रेस्पोडेंट को कोई विधिक सहायता प्राप्त नही होती है। जहां तक रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही होने का प्रश्न है रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय एवं द्वितीय अपील में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे वाद वादी साबित नही होता हो। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि उदाराम के दो पुत्र थे रामकुमार व कालुराम जबकि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में कालुराम ही बताया है। अपीलांट अपने हक हिस्से की भूमियां विक्रय कर चुका है। अपीलांट का वाद रेसजुडीकांटा से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रतिकुल कब्जे व गिरदावरियां परस्पर भिन्न है। रेस्पोडेंट को समयक तामील नही हुई है। साक्ष्य सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। रामकुमार आवश्यक पक्षकार था उसे पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलांट का कब्जा काश्त नही है। अपील सारहीन है। रेस्पोडेंट प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने पर सहमत है। अपील खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब में तर्क दिया कि वाद संख्या 244/1992 में प्रस्तुत राजीनामे में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की स्वीकारोक्ती है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1006,1010,1009 में रामकुमार व कालु का 1/2 हिस्सा है। अपीलांट ने इस 1/2 में से अपने पिता के 1/2 अर्थात कुल में से 1/4 हिस्से का दावा किया है। रामकुमार के हिस्से का कोई दावा नही किया है। राजीनामे एवं राजस्व रिकार्ड से अपीलांट के पिता कालु का 1/4 हिस्सा होना पूर्णतया साबित है। अतः प्रतिकुल कब्जे का प्रश्न नही है। रेस्पोडेंट ने दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अत अब यह आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नही है कि उन्हे साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अपील स्वीकार की जावें।

राजस्व अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपीलांट स्व. कालु का पुत्र है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 में विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का उप कृषक बालु पुत्र उदा दर्ज है। अपीलांट अपने पिता के 1/4 हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। संवत 2013 से खसरा गिरदावरी में मे अपीलांट के पिता कालु की काश्त दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में दावा संख्या 244/1992 हेमाराम आदि बनाम रामकुमार आदि चला था जिसमें दिनांक 27.09.1993 को पक्षकारों में राजीनामा प्रस्तुत हुआ था। इस राजीनामें में अपीलांट के पिता कालुराम प्रतिवादी संख्या 2 थे। इस राजीनामे में वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 हेमा, महादेव, मु–छोटी, अर्जुन, मोहन ने हस्ताक्षर अंगुठा निशानी विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर के समक्ष अंकित कर यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1006,1010, 1009 में उत्तर की तरफ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामकुमार व कालुराम पुत्रगण उदाराम के कब्जे काश्त में है वादीगण उत्तर की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगें। उत्तर की तरफ की 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामकुमार व कालुराम को खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावें। यह राजीनामा पक्षकारों द्वारा दिनांक 27.09.1993 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा पक्षकारों की पहचान किये जाने पर सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर द्वारा दिनांक 27.09.1993 को तस्दीक किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 राजीनामे की स्वीकारोक्ती से पाबन्द है। इस राजीनामे से अपीलांट का विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का दावा बखूबी साबित है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया था इससे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही हुई है। दौराने अपील रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ नकल विक्रय पत्र कालुराम बहक प्रभातराम दिनांक 22.10.1992, नकल विक्रय पत्र रामकुमार बहक भगवाना दिनांक 22.10.1992 नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध संवत 2009 से 2029, नकल नामान्तकरण दिनांक 18.11.1993, नकल वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी, नकल जमाबन्दी संवत 2027 से 2030, 2063 से 2066, दावा संख्या 244/1992 के दावा, राजीनामा, आदेशिका की नकल प्रस्तुत की है। विक्रय पत्र दिनांक 22.10.1992 कुल किता 2 खसरा नम्बर 1023 बाबत है विचारण न्यायालय एवं प्रस्तुत अपील में वादी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1023 बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो जमाबन्दीया प्रस्तुत की गई है वे भी खसरा नम्बर 1023 से सम्बंधित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजात विवादित भूमि से सम्बंधित नही होने से प्रासांगिक नही है। इन दस्तावेजात से रेस्पोडेंट को कोई विधिक सहायता प्राप्त नही होती है।

वाद संख्या 244/1992 में प्रस्तुत राजीनामे में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की स्वीकारोक्ती है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1006,1010,1009 में रामकुमार व कालु का 1/2 हिस्सा है। अपीलांट ने इस 1/2 में से अपने पिता के 1/2 अर्थात कुल में से 1/4 हिस्से का दावा किया है। रामकुमार के हिस्से का कोई दावा नही किया है। राजीनामे एवं राजस्व रिकार्ड से अपीलांट के पिता कालु का 1/4 हिस्सा होना पूर्णतया साबित है। अतः प्रतिकुल कब्जे का प्रश्न नही है। रेस्पोडेंट ने दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अत अब यह आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नही है कि उन्हे साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है।

जहां तक रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही होने का प्रश्न है रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय एवं द्वितीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे वाद वादी साबित नही होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी को ग्राम खाटूश्यामजी के खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1828 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1823 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1824 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के हिस्से 1/2 में से 1/2 अर्थात कुल में से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मूर्ति मन्दिर के नाम जो 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज है वह इससे अप्रभावित रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर